



उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून
मसूरी बाईपास, रिग रोड, लाडपुर, देहरादून-248001

email- boardofrevenue-uk@gov.in phone:0135-2669415 Fax:0135-669384

संख्या-2735/6- अधि0/2024-25 दिनांक, 10 सितम्बर, 2025

प्रोन्नति/तैनाती आदेश

जनपदों में रिक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर चयन/प्रोन्नति के सम्बन्ध में दिनांक 29.08.2025 को आहूत विभागीय चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए निम्न 12 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित जनपदों में रिक्त के सापेक्ष तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाता है-

क्र0सं0	वरिष्ठ प्रशा0अधिकारी का नाम	तैनाती जनपद	तैनाती जनपद	प्रोन्नत पद का नाम/ वेतनमान
1	2	3	4	5
1	श्री जितेंद्र प्रसाद शुक्ल	हरिद्वार	हरिद्वार	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 56100-177500 लेबल-10
2	श्रीमती भगवती भाकुनी	नैनीताल	नैनीताल	
3	श्री सुरेन्द्र सिंह मिंगवाल	देहरादून	देहरादून	
4	श्री ओमप्रकाश बहुगुणा	टिहरी	बागेश्वर	
5	श्री धीरेन्द्र सिंह पुण्डीर	टिहरी	टिहरी	
6	श्रीमती बीना तड़ियाल	हरिद्वार	हरिद्वार	
7	श्री गुरुप्रसाद मंगगाई	देहरादून	देहरादून	
8	श्रीमती भगवती बोरा	देहरादून	चम्पावत	
9	श्री अजीत सिंह रावत	पौड़ी	पौड़ी	
10	श्रीमती इंदिरा नेगी	टिहरी	नैनीताल	
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद उनियाल	बागेश्वर	चम्पावत	
12	श्रीमती निशा असवाल	पौड़ी	पौड़ी	

2. उपरोक्त क्रमांक-3 पर अंकित श्री सुरेन्द्र सिंह मिंगवाल के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या-561/2024 (एस0बी0) विजय लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित है, जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र सिंह मिंगवाल की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर की गयी प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय के उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

ह0/
आनन्द बर्द्धन
अध्यक्ष
राजस्व परिषद
10.09.2025

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2.आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3.समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4.स्टाफ ऑफिसर,राजस्व परिषद उत्तराखण्ड को राजस्व परिषद की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 5.निजी सचिव,अध्यक्ष राजस्व परिषद को मा0अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6.उपरोक्त कार्मिकों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रेषित।

(रंजना राजगुरु)
आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद